वसीयत, उत्तराधिकार और ट्रस्ट पर चैंबर का सेमिनार

संपत्ति के सुरक्षित हस्तांतरण और पारिवारिक विवादों से बचाव पर विशेषज्ञों ने दी महत्वपूर्ण जानकारी

युवा शक्ति न्यूज/कोलकाता: कलकत्ता चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स द्वारा वसीयत, उत्तराधिकार और ट्रस्ट के माध्यम से संपत्ति वितरण विषय पर एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कर सलाहकार पारस कोचर ने संपत्ति संरक्षण, पारिवारिक उत्तराधिकार और कॉरपोरेट सक्सेशन प्लानिंग से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी. कार्यक्रम की शुरुआत में चैंबर के अध्यक्ष अनंत साहरिया ने कहा कि परिवारों और व्यापारिक घरानों के लिए संपत्ति और नेतृत्व का सुचारु हस्तांतरण आज एक बड़ी आवश्यकता बन चुका है. उन्होंने कहा कि सही उत्तराधिकार योजना से परिवार और व्यवसाय दोनों को लंबे कानूनी विवादों से बचाया जा सकता है. अपने संबोधन में वरिष्ठ अधिवक्ता पारस कोचर ने वसीयत, उत्तराधिकार और ट्रस्ट के बीच के कानूनी अंतर को सरल भाषा में समझाया. उन्होंने बताया कि सही तरीके से तैयार और पंजीकृत वसीयत संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाती है और भविष्य के विवादों को कम करती है. उन्होंने यह भी कहा कि फैमिली ट्रस्ट परिवार की संपत्ति को सुरक्षित रखने के साथ-साथ नाबालिग और आश्रित सदस्यों के हितों की रक्षा में भी मददगार होते हैं. सेमिनार में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेटियों के समान अधिकार और पैतृक संपत्ति के बंटवारे से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर भी चर्चा हुई. कार्यक्रम के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें संयुक्त संपत्ति, विदेशों में फैली पारिवारिक संपत्ति और संपत्ति हस्तांतरण से जुड़े कर संबंधी विषयों पर विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों के सवालों के जवाब दिए. अंत में चैंबर के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग झुनझुनवाला ने वक्ता का आभार व्यक्त किया.